

फर्द अहकाम

जैसलाल बनाम रामलाल

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर

केस संख्या 63/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	18/6/2024	<p>पत्रावली 18/6/2024 को पेश हुआ कि जयपुर पूर्वानुसार 16/7/2024</p>
	16/7/2024	<p>पत्रावली (पुस्तक) अधिवक्ता प्राची की पहल सुनी गई। प्राची अधिवक्ता ने कथन किया की अप्राचीण बिना विचारण हुए प्राची को विशिष्ट मू-भाग से बेदखल करना चाहते हैं। फर्द बेदखल करने में सफल हो जाते हैं तो बाद का नौचिप ही समाप्त हो जाएगा। पत्रावली का उपलोकन किया गया। पुस्तक कहने, प्राचीन पत्र व लतापेरी के अगुआ मापला प्राची के पत्र में प्रतीत होता है कि बाद का दुल्पता को रोकने के लिए आदेश दिनांक 5/5/2023 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवर्ष के निस्तारण तक स्थायी किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फेसल शुका होकर दाखिल पप्ता है।</p>

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर